विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-18/2022

श्रीमती मनीषा दुबे पति श्री अनिल दुबे,
दुबे सर्जिकल एण्ड डेण्टल हॉस्टिपल,
घमापुर चौक, जबलपुर (म0प्र0) — **आवेदक**

विरूद्ध

(1) **अधीक्षण अभियंता (शहर) वृत्त,**
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म0प्र0)

(2) **कार्यपालन अभियंता (सिटी डिवीजन ईस्ट),**
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ओल्ड पॉवर हाउस बिल्डिंग, जबलपुर (म0प्र0)

— **अनावेदकगण**

(3) **कार्यपालन अभियंता (एस.टी.एम.), सिटी सर्किल,**
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म0प्र0)

(4) **श्री सनातन शर्मा, सहायक अभियंता (विजय नगर डिवीजन),**
पूर्व सहायक यंत्री, जोन – 2, ईस्ट डिवीजन,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म0प्र0)

(5) **श्री योगेश पटेल, जूनियर अभियंता (वि.के.),**
फूटाताल/हनुमानताल फीडर, ईस्ट डिवीजन,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 31.3.2023 को पारित)

01 श्रीमती मनीषा दुबे पति श्री अनिल दुबे, दुबे सर्जिकल एण्ड डेण्टल हॉस्टिपल, घमापुर चौक, जबलपुर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 26.10.2022 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक 19/2022 में आदेश दिनांक 23.09.2022 से

पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 42 (6) विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 18.11.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल 00—18 / 2022 पर दर्ज की गई है ।

02 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

Representation against the Electricity consumer grievances redressal forum (hereinafter referred as ECGRF for brevity) Jabalpur of Madhya Pradesh purv kshetra Vidyut Vitran Co. Ltd, jabalpur order no. 19/2022 dated 23/9/22.

Being aggrieved by the order dated 23/9/22 passed by ECGRF Jabalpur in the complaint case no. 19/2022, the Complainant submits this appeal in accordance with the provisions in clause 3.37 of the MPERC (establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of consumers) Regulation 2021 dated 22/7/2021 as under, Subject matter in brief. The Appellant's husband runs a hospital named Dube Chowk, Jabalpur and had taken a electricity connection from NA 2 under LV 2.2 category of 40 kw sanctioned load 10 years before. The Appellant opted for demand based tariff of 25 Kw contract demand and a supplementary agreement to this affect was executed with NA2 on 20/3/21. In the year 2018 rooftop solar panel of 8 kw was installed in august 18 and after installation and checking of Net meter xd 473101 secure make was commissioned by NA3 Joined with NA2 on 4/9/2018. The bills to the Appellant however were not served in accordance with the provisions of clause 8 of MPER (Grid connected Net metering) Regulation 2015 dated 25/10/2015 for a long time and also the credit of unadjusted export units were never given to the Appellant by NA2. Suddenly the NA4 intimated the Appellant vide letter dated 28/02/22 that the import units are not being properly recorded in the Import and therefore this meter is required to be changed and therefore asked to contact the Vendor to provide a new Net meter so that the same may be changed. The Appellant vide letter dated 2/3/22 to the NA4 intimated as under;

That he visited my premises on 27/2/22 and inspected the net meter installed in our premises after due testing in your lab in 2018. No any irregularity was found in our premises but the copy of inspection report was not given to me or my representative present during inspection.

It was intimated by the Appellant that during the period from Aug 21 to Dec 21 hospital was not working due to effect of epidemic covid 19 and outside patients were not coming and therefore demand being very less drawl from the grid was negligible, solar generation being sufficient to meet our requirement. That the Net meter has been installed by company after due testing and checking by NA2 joined with NA3.

Copy of this letter was also endorsed to NA1 and NA2.

That the Appellant vide letter dated 20/4/22 intimated the NA2 that the export units supplied by us from April 21 to March 22 has not been shown in the monthly bill of March 22 provided new Net meter and CT to the R4 which the after testing and inspection of our premises by R5 and taken out the old meter and CT on 17/3/22 in presence of R4 and new Net meter bearing no, x 1847687 was installed and commissioned on 17/3/22. The old meter and CT were checked in the LTMT lab and STM lab on 5/4/22 and on testing found the both ok.

The NA5 however passed an assessment order dated 4/5/22 stating that on perusal of MRI reports phase sequence reversal was found and import units are being recorded in export and export as Import and accordingly converted entire export units of 6709 from beginning to Import units and raised a recovery of Rs. 8.0 lacs which was opposed by the Appellant vide letter dated 17/5/22 to the Inspecting officer under intimation to the NA1 and NA2 on the ground that as per inspection report dated 17/3/22 all seals were found OK and no any malpractice or irregularity was noticed. Also while taking out the meter and CTs in presence of NA3 no any irregularity of connections was noticed. The Forum particularly N6 did not hear the Appellant refused to provide the proceedings of hearing, abused D. khandelwal, Ex ED(L&R) of the then tradeco and passed order dated 23/9/2022 acting in a biased and prejudicial manner. In order to resolve the dispute the Appellant filed a complaint before ECGRF Jabalpur in accordance with the provisions in clause of MPERC (Grid connected net metering) Regulation 2015. The NA6 did not record the proceedings held on different dates and despite that the inspection report dated 17/3/22 all seals were found intact and no any irregularity found in the Appellant's premises passed order dated 27/9/22 with a prejudicial mind.

GROUNDS

1. BECAUSE the Forum which heard the matter was not in accordance with the provisions of clause 3.6 of the MPERC (Establishment of Forum and electricity ombudsman for redressal of grievances of consumers) Revision II Regulation 21 notified on 22/7/21 as no Members from consumers as provided were in the Forum. The Forum had two members of the licensee and one Retired law officer of the Transco as Independent Member thus all here members were from the licensee himself. The order dated 27/9/22 passed by a Forum not having jurisdiction is bad in law and deserves to be quashed in the interests of Justice.

2. BECAUSE the Forum committed error of law in stating on page 31 of the order that the mistake by NAs is of the time when the Net meter started being installed and stated that Appellant also ought to have been Vigilant about sudden fall in the consumption and intimated the same to the NAs.

In this connection the Appellant submits that the forum came to conclusion that some mistake has been committed by the NAs due to being ignorant is not sustainable under law as CT operated meter were in service from the time of MPEB. The post of NA3 was created only of technically sound officer and it was mentioned in standing instructions that connections of CT operated meter will either be done by NA3 or before him to avoid any mistake. Further the Forum overlooked the clause 8.6 of the Electricity supply code 2013 imposes the responsibility of healthiness of the meter on the licensee. This question was dealt by Electricity Ombudsman Bhopal in its' order dated 24/4/2014 in the case no. L004312 as under;

"11/ उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई विदयुत ऊर्जा की खपत की संगणना करने का दायित्व अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी के उत्तरदाई अधिकारी पर था | दिनांक 7/6/2006 से 13/9/11 तक उन्होंने इस तथ्य पर विचार नहीं किया की विद्युत ऊर्जा की संगणना करने के लिए किस मानक का उपयोग करना है, इस तथ्य से स्पष्ट है की संगणना करने में गलती अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा की गई और ऐसी त्रुटि के लिए उपभोक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदाई नहीं है

3. BECAUSE when NAs did not oppose the application of sub section 2 of section 56 of the Electricity Act 2003 but contrarily when this issue arose during the hearing on 4/8/22 NA6 accepted application of sub section 2 of section 56 and asked the Appellant that if

the billing is revised for two years back period will it be acceptable on which the Appellant agreed the Forum committed grave mistake in stating of it's own on page 29 that the assessment order is not supplementary demand but left out billing despite admitting its' application during the hearing on 4/8/22 as recorded in the proceedings.

The Forum overlooked the Hon. supreme court Judgment dated 18/2/2020 which was filed by the Appellant's Advocate vide the letter dated 12/8/22 with copies to NA1 to NA3. On page 14 of the Judgment Hon Apex Court stated as under:

"Section 56(2) did not preclude the licensee company from raising an additional or supplementary demand after the expiry of the limitation period under section 56(2) in the case of a mistake or bona fide error. It did not however, empower the licensee company to take recourse to take the coercive measures of disconnection of electricity supply, for recovery of the additional amount"

4. BECAUSE the forum overlooked the provisions of clause 10.3.4. of Electricity supply code 2013 which imposes a duty on the or supplier to evolve a system for carrying out regular monthly monitoring of consumption of the high value consumers, which shall include all the HT consumers and LT connections having contract demand of 50 HP and above. variations in the consumption should be carefully analyzed.

In doubtful cases, the licensee or supplier should arrange prompt inspection in doubtful cases.

The Forum did not enquire from the NA5 who appeared on 12/7/222 as reasons of not inspecting the metering equipment for such a long period when at the time of taking first reading on 30/9/2019 the screen of the Net Meter was dark and thereafter also the functioning of the metering equipment was doubtful.

5. Because the Forum being preconceived falsely mentioned on page 30 of the order that available MRI report from date 18/1/20 to 22/1/22 was analyzed as no such report was submitted by the NA2 or NA3 during the hearing on 4/8/22 but it was a load survey report which was intimated to NA1 vide letter dated vide letter dated 8/9/22 with copy to the NA6. this fact was also reiterated vide written arguments and proceeding of hearing on 5/9/22. The Only MRI report submitted by NA5 during hearing on 12/7/22 was for the

period 1/4/21 to 31/3/22, legible copy of which was not provided to the Appellant till 7/9/22.

6. Because although stating in regard to the Appellant's contention in regard to manufacturer interpretation of Reverse Run duly certified by Professor of Electrical engineering GEC, Jabalpur submitted by the Appellant during the hearing on as mentioned on page 21 of the order which was not opposed by the NAs, the Forum committed grave mistake of overlooking the opinion of an expert body without assigning any reasons thereof which is not sustainable under law.

7. BECAUSE the Forum overlooked the Appellant's objection as sated on page 20 of the order that in regard to mention of Reverse Run and Current imbalance that time, date of occurrence and persistence of these events are not mentioned. Further the MRI report pertains to year 21-22 and therefore observations on it can not be applied retrospectively ie, From 2018. The contention of the Appellant was not opposed by the NAs however the NA6 asked whether Appellant is agreeing to deposit recovery of one year which was accepted by Appellant and NA6 also agreed that sub section 2 of section 56 applies to the case but while passing order NA6 took a U turn being prejudicial to the Appellant's interest.

8. BECAUSE the Forum committed grave mistake of upholding the recovery raised by the NAs without the submission of MRI reports from the date of commissioning of Net meter xd473101 ie. from 4/9/2018 to 17/3/22 on presumption applying maximum rate of Rs.6.90/ per unit applicable as per tariff order of 22-23 overlooking the fact submitted by the Appellant in her complaint that she switched over to demand based tariff with contract demand of 25 Kw wef 1/3/21 when supplementary agreement was executed.

9. BECAUSE the forum overlooked the provisions of clause 10.3.4. of Electricity supply code 2013 which imposes a duty on the licensee or supplier to evolve a system for carrying out regular monthly monitoring of consumption of the high value consumers. Which shall include all the HT consumers and LT connections having contract demand of 20 HP and above variations in the consumption should be carefully analyzed.

In doubtful cases, the licensee or supplier should arrange prompt inspection in doubtful cases.

The Forum did not enquire from the NA5 who appeared on 12/7/2022 as to reasons of not inspecting the metering equipment for such a long period when the performance of the metering equipment was doubtful.

10. BECAUSE the Forum committed grave mistake of not taking in record the proceedings held on different dates containing admissions and arguments of the Appellant's representative and acted in a biased manner right from the beginning of hearings and was not willing to even listen at several occasions.

11. BECAUSE the Forum did not record admission of the NA2 vide letter no 789-90 dated 20/6/22 submitted during the hearing on 21/6/22 by the representative of the NA2 and also the arguments of the Appellant's representative partetter dated 20/6/22 which was not opposed by NA2's representative Shri Koushal AE.

12. BECAUSE the Forum did not provide the proceedings of hearing on 21/6/22 on the demand of Appellant's Advocate and only obtained signatures of Appellant, his Advocate and representative and that of representative of NA2 and left their seats and gone away ignoring the request of Appellant's Advocate and his representative in a very negligent manner.

13. BECAUSE the NA6 abused the Appellant's representative Shri Khandelwal on 12/7/22 when he asked for the proceeding of hearing which was not befitting and graceful for a person holding the chair of chairman of the Forum. On the request of Appellant's representative again the NA6 threatened Appellant's representative.

14. BECAUSE the Forum overlooked and ignored the Appellant's Advocate submission of the proceedings held on 21/6/22, 12/7/22 filed on 18/7/22 with copies of receipts of the NAs requesting to take the same in record of the case and acted in a biased manner.

15. BECAUSE the during the hearing on 12/7/22 did not record the statement of Shri Sanatn Sharma AE representing NA2 that on 30/9/22 the screen of the net meter xd473101 was dark and also NA6 did not ask reasons for not checking the metering

equipment was not thoroughly checked and certified. Also ignored the contention of the Appellant's representative submitted on 12/7/ which was not opposed by NA4 and also NA5 who were in the inspection team who conducted the inspection of Appellant's premises on 12/7/22.

16. BECAUSE the none of the Non applicants filed reply of the main complaint and amendment application dated 21/6/22 in any hearings and NA6 despite submission of the Appellant to invoke clause 3.26(b) of the MPERC (Establishment of Forum and Electricity Ombudsman for redressal of grievances of consumers) Revision II Regulation 2021 dated 22/7/2021 continuously granted adjournments acting against the provisions of MPERC regulation 2021 as submitted above.

17. BECAUSE the Forum did not state the proceedings held on 12/7/22 despite the same was submitted before the Forum vide letter dated 18/8/22

18. BECAUSE the Forum did not summon the NA5 who was inspecting and Assessing officer in the case to submit reply and attend bearing before the Forum for examining the facts.....

19. BECAUSE the Forum further ignored the wrong in the proceedings recorded by the Superintendent of the Forum and factual proceedings of hearings held on 21/6 and 12/7 submitted by the Appellant's Advocate before the Forum vide letter dated 18/8/22.

20. BECAUSE on page 11 of the order the Forum committed mistake in stating that the Appellant submitted Additional statement on 13/6/22 in as much as that the Appellant submitted an Application on 21/6/22 for amendment in the main complaint in 7 copies on which NA6 gave one copy to the representative of the NA2 present in the hearing, kept one copy and returned 5 copies to the Appellant's Advocate.

21. BECAUSE the Forum did not summon the NA2 to be present in the hearing in person so as to examine the issues in more detail.

22. Because the Forum ignored the request made by the Appellant While submitting counter of the NA3 letter dated 4/8/22, vide letter dated 12/8/22 to direct the NA3 to

submit copy of important Documents including MRI reports from 4/9/2018 to 17/3/22 of the net meter xd473101 in the next hearing.

23. BECAUSE Forum did not summon NA3 to attend the hearing on 5/9/22 along with copy of MRI reports from 4/9/2018.

24. BECAUSE the Forum on page 30 of the order accepted in para 6 that on analysis of import read of the new meter the STM division was intimated and on checking they found that polarity of three phases is reverse and due to CT connections reverse polarity export unit was recorded in Import and Import as Export.

25. BECAUSE despite non submission of MRI17 report from date of commissioning of meter xd473101 to 17/3/22 as directed by the Forum during the hearing on 4/8/22 the Forum out of its own made assumption and accepted the contention of NA2 very openly in a biased manner.

26. BECAUSE the Forum committed grave error in supporting the NA2 & NA3 that after rectifying the polarity wrong connection of old meter xd473101 the Import read of the meter improved in a situation when the old meter xd473101 and CTs were packed by NA5 after inspection on 17/3/22.
21/3/22 by NA5 and in its place new net meter x1847687 was existing which was commissioned on 17/3/22.

27. BECAUSE the NA6 committed grave mistake on relating the meter slip dated 21/3/22 with the old meter xd473101 which was not existing in the Appellant's premises on 21/3/22.

28. BECAUSE the Forum committed mistake of law in stating that there was no necessity to record about reverse connections of CT sin the inspection report of net Meter xd473101.

29. BECAUSE Forum committed a grave mistake of supporting the NAS by accepting a letter bearing no. 1728 dated 6/9/222 from NA2 when the hearing was over on 5/9/22 when the NA2 submitted a letter bearing no. 1687 dated 5/9/22 thus openly acted prejudicial to the interest of the Appellant in contravening the fairness and transparency.

30. BECAUSE the Forum committed error of law in stating on page 31 that the mistake is of the time when the Net meter started being installed and stated that Appellant also ought to have been vigilant was not possible and desirable as to watch the consumption the Appellant would have opened the box which is not desirable and liable for punishment.

31. BECAUSE the Appellant had not received revenue credit of unadjusted export units from 31/3/2019 onwards as stated on page 29 of the order and was not submitted during hearings before the Forum when this issue was raised by the Appellant before Forum.

32. BECAUSE the Forum overlooked the repeated prayers of the Appellant to provide copy of MRI report submitted by the NA4 before the Forum on 12/7/22 which was not provided up to the last date of hearing on 5/9/22 and therefore the Forum committed mistake of fact stating that as technical system generated solution of the dispute as stated above niskarsh on page 31 of the order.

33. BECAUSE the Forum without examining the meter change slip dated 21/3/22 which was submitted by the Appellant's Advocate during the hearing on that on the left side of the slip everything was written in respect of new meter the Appellant's employee signature was taken on typed matter as under:

मीटर मेरे सामने बदला गया एवं टर्मिनल व मीटर बॉक्स की सील लगाई गई एवं अन्य विवरण मेरे समक्ष नसती किए गए जिनसे मई सहमत हूँ।

The Appellant's employee has not signed below CT terminal reverse.
The Forum acting in a biased manner on page 31 of the order made a wrong interpretation of already typed matter on meter change slip dated 21/3/22 which by no stretch of imagination is the acceptance of CT polarity found reversed in the old meter xd473101 which was not existing in the Appellant's premises on 21/3/22.

34. BECAUSE the Forum made analysis of monthly consumption before commissioning of net meter on 4/9/2018 and thereafter overlooking to the facts that the Net meter was not showing import, export readings for a long period up to June 2019 and thereafter from the period from March 20 to March 22 when the import units were not being

recorded. The NA4 and NA5 overlooking their responsibility as defined in clause 10.2.4 did not check the Metering equipment thoroughly. Had it been done the incorrectness if any would have been rectified and Appellant would have not been charged from date of commissioning.

The Forum particularly NA6 passed order mechanically being prejudiced to the Appellant in an unfair manner which deserves to be quashed in the interests of justice.

No any relief has been granted by the Forum particularly NA6 who acted ina biased manner. The order dated 27/9/2022 has been passed in an unfair and non transparent prejudicial manner and therefore deserves to be quashed in the interests of justice.

PRAYER

In view of the submissions made above the Appellant prays before the Hon authority.

i/ that the Forum headed by NA6 has passed order dated 23/9/2022 by contravening the provisions of law, Hon Supreme Court Judgment and also against the Judgment of Electricity Ombudsman Bhopal, a superior Authority without recording the contentions of the Appellant in a prejudicial manner be quashed in the interest of justice.

ii/ NA2 be directed to pass revenue credit of unadjusted export units as on 31/3/2019, 31/3/20, 31/3/21 and 31/3/22 with in a period of one month.

iii/ In the case may please e bought to the knowledge of Hon commission in regard to prejudicial behavior towards consumers and posting of five consumers as Members in accordance with the provisions in clause of MPERC (establishment of Forum and Ombudsman for redressal of grievances of consumers) Rev II Regulation 2021 dated 20/7/21 for ensuring transparency and fair treatment to aggrieved consumers to by suitable directions to MD mppkvvcl, Jabalpur. Members.

03. प्रकरण को क्रमांक एल00–18 / 2022 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 02.12.2022 नियत की गई । अप्रत्याशित कारणों से दिनांक 02.12.2022 की सुनवाई स्थगित की जाकर दिनांक 19.12.2022 नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 19.12.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक के सलाहकार श्री समर्थ सिंह, अधिवक्ता तथा अनावेदक की ओर से श्री विवेक कुमार जसैले, कार्यपालन यंत्री, श्री कौशल किशोर, सहायक यंत्री, श्री सनातन शर्मा, सहायक यंत्री, श्री अंकित शर्मा, जूनियर इंजीनियर (एस.टी.एम.) एवं श्री प्रणय सक्सेना, अधिवक्ता उपस्थित ।

01. सुनवाई के दौरान आवेदक ने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि अनावेदक द्वारा नेट मीटर हेतु लगाए गए मीटर के कनेक्शन में सी.टी. रिवर्स कनेक्शन होने के कारण की गई बिलिंग 2 साल से अधिक अवधि की होने के कारण कालबाधित है, अतः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के तहत वसूली योग्य नहीं है, अतः समाप्त की जाएं ।

02. आवेदक ने बताया कि नेट मीटर वर्ष 2018 में लगाया गया था जो कि 08 किलोवॉट का रूफ टाप सोलर पैनल लगाने के कारण लगाया था जिसे 04.09.2018 को चालू किया गया था।

03. अनावेदक ने आवेदक को 28.02.2022 को बताया कि मीटर में इंपोर्ट यूनिट ठीक तरह से दर्ज नहीं हो रही है । आवेदक ने कहा लगभग 4 वर्ष की अवधि उपरांत अतिरिक्त बिल भुगतान हेतु दिया गया है जो कि धारा 56 (2) के तहत कालबाधित होने से वसूली योग्य नहीं है ।

04. आवेदक द्वारा सुनवाई में यह भी कहा गया कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं होने से सुनवाई हेतु अगली तिथि दी जाए, जिस पर उन्हें सुनवाई में निम्न जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया ।

(ए) आवेदक से पूछा गया कि उक्त अवधि में अस्पताल का व्यवसाय कैसा रहा क्योंकि इस अवधि में कोविड अवधि थी ।

(बी) उपरोक्त सम्पूर्ण अवधि में प्रतिमाह सोलर पैनल द्वारा कितनी यूनिट उत्पादित की गई ।

अनावेदक ने कहा कि मीटर में कनेक्शन सी.टी. रिवर्स होने के कारण सही इंपोर्ट की खपत दर्ज नहीं हुई है, अतः बिल की गई राशि अंतर की राशि है, गड़बड़ी पकड़े जाने की दिनांक से दो वर्ष के अंदर बिल जारी किया है अतः कालबाधित नहीं होकर नियमानुसार सही एवं वसूली योग्य है।

02. अनावेदक को अगली सुनवाई में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया :–

1. जनवरी 2015 से दिसम्बर 2022 तक बिलिंग का पूर्ण विवरण ।

2. मीटर का एम.आर.आई. डाटा, टेम्पर इंडिकेशन एवं लोड सर्वे । (विवादित अवधि के अतिरिक्त दिसम्बर 2022 तक)
3. मीटर एवं सी.टी. की जांच रिपोर्ट विवरण सहित
4. समान उपयोग एवं भार वाले अन्य उपभोक्ता की खपत का विवरण ।
5. किए गए अंतर की राशि के बिलों का पूर्ण विवरण ।
6. अंतर के कारण माहवार बिलिंग का विवरण ।

उभयपक्षों की आपस की सहमति से उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 17.01.2023 नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 17.01.2023 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिवक्ता श्री निर्मल कपारे तथा श्री अरूण चौधरी, एडमिनिस्ट्रेटर दुबे सर्जिकल एण्ड डेंटल हास्पिटल तथा अनावेदक की ओर से श्री कौशल किशोर, सहायक यंत्री (जोन–2), श्री सनातन शर्मा, सहायक यंत्री, श्री प्रवीण कुलकर्णी, जूनियर इंजीनियर एवं श्री राजीव आचार्य, अधिवक्ता उपस्थित ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति पूर्व में ही आवेदक को उपलब्ध करा दी गई । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब निम्नानुसार है :–

संदर्भित विषयांतर्गत संबंधित प्रकरण क्रमांक **एल–18/2022** से संबंधित जानकारी निम्नानुसार हैः–

1) उपभोक्ता श्रीमति मनीषा दुबे W/O अनिल कुमार दुबे, दुबे सर्जिकल एंड डेण्टल क्लीनिक घमापुर, जबलपुर के आवेदन पर दिनांक **13.03.2010** को 40KW का कमर्शियल कनेक्शन (LV 2.2) जारी किया गया था।

(एनेक्जर –01 संलग्न पासबुक)

2) उपभोक्ता द्वारा उनके कमर्शियल कनेक्शन में संयोजित भार–40KW का लिया गया था जिसमें उपभोक्ता द्वारा संविदा भार–25KW कराया गया।

3) उपभोक्ता द्वारा उक्त कनेक्शन पर सोलर रूफ टाप सोलर पैनल 8KW का लगवाया गया, जिसमें नेट मीटर दिनांक **25.08.18** को लगाया गया।

(एनेक्जर –02 चैन स्लिप)

4) उपभोक्ता का सोलर नेट मीटर की कमिशनिंग दिनांक **04.09.18** को की गई।

5) सम्भाग के अंतर्गत समस्त कनेक्शनों के जनरल ऑडिट में उपभोग के अनुपात में खपत कम होने एवं रात्रि में भी सोलर जनरेशन होने के कारण **17.03.22** को उक्त कनेक्शन के मीटर को

जांच करने के उद्देश्य से उक्त मीटर के स्थान पर दूसरा मीटर स्थापित किया गया एवं पंचनामा क्रमांक JBPC20220317115623901 दिनांक **17.03.2022** तैयार किया गया था। **(एनेक्जर –03 संलग्न–चैन स्लिप एवं पंचनामा)**

6) दिनांक **06.04.2022** उपभोक्ता के समक्ष पुराने मीटर एवं सी.टी. को टेस्टिंग हेतु एल.टी.एम.टी. लैब भेजा गया। जिसमें मीटर एवं सी.टी. टेस्टिंग रिर्पोट में सही पायी गई।

(एनेक्जर –04 संलग्न–मीटर क्रमांक XD473101 एवं X1847687 की LTMT टेस्टिंग रिपोर्ट)

7) मीटर बदलने के बावजूद उपभोक्ता के कमर्शियल कनेक्शन के खपत में बढ़ोत्तरी प्रदर्शित नहीं हुई अतः प्रचलित परिपाटी के अनुसार एस.टी.एम. सम्भाग को मीटर की जांच हेतु सूचित किया गया। दिनांक **21.03.22** को एस.टी.एम. सम्भाग द्वारा कनेक्शन की जांच करने पर पाया गया कि तीनों फेस की पोलेरिटी उल्टी लगी हुई है जिसके कारण एक्सपोर्ट की युनिट ईम्पोर्ट में दर्ज हो रही थी एवं ईम्पोर्ट की युनिट एक्सपोर्ट में दर्ज हो रही थी उसी दिनांक **21.03.22** को चैन स्लिप में ''सी.टी. पोलेरिटी चेंज'' का टीप भी अंकित किया गया था।

(एनेक्जर –05 – संलग्न–चैन स्लिप)

8) एस.टी.एम. सम्भाग के द्वारा मीटर की एम.आर.आई. भी कराई गई जिसमें यह पाया गया कि रात्रि कालीन अवधि में एक्सपोर्ट युनिट दर्ज हो रही थी अर्थात रात्रि कालीन अवधि में सोलर पैनल द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा रही थी जिससे यह सिद्ध होता है कि सी.टी. के कनेक्शन उल्टे लगे हुये थे।

(एनेक्जर –06 संलग्न–एम.आर.आई.)

9) एस.टी.एम. संकाय द्वारा की गई एम.आर.आई. की रिपोर्ट में Flags Column के अंतर्गत Discription में रिर्वस रन के अंतर्गत Yes Value प्रदर्शित हो रही है। जिससे सी.टी. पोलेरीटी रिर्वस होने की पुष्टि होती है।

(एनेक्जर –07 संलग्न- Flags Column **की रिपोर्ट.)**

उपरोक्त के अतिरिक्त उपभोक्ता के परिसर में सोलर कनेक्शन लगने के पूर्व माह **अप्रैल 18, अगस्त 18** तक प्रतिमाह लगभग **6346** युनिट की औसत खपत दर्ज हुई है। ईम्पोर्ट एवं एक्सपोर्ट युनिट दर्ज होने के पश्चात् **मई 20** से **फरवरी 22** तक **(22 माह)** ईम्पोर्ट एक्सपोर्ट युनिट के समायोजन के पश्चात् प्रतिमाह औसतन–155 युनिट बिल किया गया है तथा सी.टी. पोलेरीटी सही किये जाने के पश्चात् माह **मार्च 22** से **जून 22** तक प्रतिमाह औसतन **4172 युनिट** की खपत मीटर में दर्ज हुई है। जिससे स्पष्ट है कि इस अवधि की खपत सोलर कनेक्शन लगने की पूर्व की खपत से कम है। जो कि उपयुक्त प्रतीत होती है।

(एनेक्जर –07 संलग्न- प्रतिमाह खपत युनिट की एक्सल सीट)

उपभोक्ता को मात्र जनरल ऑडिट के तहत् नियमानुसार एक्सपोर्ट एवं ईम्पोर्ट युनिट के अंतर के युनिट का देयक जारी किया गया है। जिसमें से पूर्व में बिल किए गये युनिट के समायोजन के पश्चात् ही बिलिंग की गई जो कि उचित है। **(एनेक्जर –08 संलग्न- निर्धारण आदेश संलग्न)**

वादी द्वारा आपत्ति कि गई है कि धारा **56 (2)** के तहत् दो वर्ष के पश्चात राशि के वसूली नहीं कि जा सकती जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण क्रमांक **7235/2009** मेसर्स प्रेम कोटेक्स विरूद्ध उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य के आदेश स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण लिमीटेशन एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। क्योंकि उक्त प्रकरण में संज्ञान में आने की दिनांक **21.03.22** के पश्चात् **04.05.22** को ऑडिट उपरांत मांग पत्र जारी कर दिया गया था।

(एनेक्जर –09 संलग्न- प्रकरण क्र. 7235/2009 माननीय उच्चत्तम न्यायालय का जजमेंट आदेश)

वादी द्वारा दिनांक 21.03.22 को सी.टी. पोलेरीटी सही करते समय बनाई गई मीटर स्लीप में निम्न विवरण अंकित किया गया है। उपरोक्त मीटर मेरे सामने बदला गया एवं टर्मिनल तथा मीटर बाक्स की सील लगाई गई व अन्य विवरण मेरे समक्ष नस्तीबद्ध किये गये उससे मैं सहमत हूं। विद्युत संविधान की जनरल कंडीशन ऑफ सप्लाई के अनुसार म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमिटेड जारी किये गये नियमानुसार भुगतान करने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूं।

इस मीटर चैन स्लिप में उपभोक्ता की ओर से बकायदा हस्ताक्षर किये गये है अर्थात इससे उपभोक्ता की स्वीकारोक्ति (एडमिशन/कानर्वेशन) के साथ–साथ वादी का एकनालेजमेंट भी माना जावे।

(एनेक्जर –10 – चैन स्लिप संलग्न)

माननीय विद्युत शिकायत निवारण फोरम जबलपुर के द्वारा उपभोक्ता से संबंधित प्रकरण क्रमांक 19/2022 में आदेश प्रसारित कर यह निर्णय दिया गया है कि ''प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जारी की गई बिलिंग उपयुक्त है वादी उपभोक्ता अबिलंव इसका भुगतान करें। अन्यथा की स्थिति में प्रतिवादी नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के लिये स्वतंत्र है''।

(एनेक्जर –11 – माननीय विद्युत शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर का आदेश)

सुनवाई के दौरान उभयपक्षों द्वारा प्रकरण से संबंधित मौखिक कथन किए गए ।

आवेदक, अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब का प्रत्युत्तर नहीं बना सके हैं, अतः समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से उक्त प्रकरण में आगामी दिनांक 07.02.2023 नियत की गई ।

सुनवाई के दौरान उभयपक्षों को निर्देशित किया गया कि वह अगली सुनवाई में निम्नानुसार जानकारी के साथ उपस्थित हो :—

01.अनावेदक नेट मीटर लगाने की दिनांक से प्रत्येक माह का नेट मीटर की बिलों की प्रति आवेदक को एवं लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

02.अनावेदक नेट मीटर लगाने के पूर्व में 2 वर्षों की खपत का विवरण भी प्रस्तुत करेंगे ।

03.आवेदक सोलर मीटर पैनल का टोटल जनरेशन व डाटा प्रस्तुत करेंगे । अगर उनके सोलर पैनल पर उक्त सुविधा न हो तो लगाने वाली कम्पनी से 08 किलोवॉट हेतु माहवार जनरेशन प्रस्तुत करेंगे ।

04.अनावेदक मीटर का कनेक्शन सही होने की स्थिति की खपत के अनुसार प्रतिमाह बिल करके ऑलरेडी टू बी बिल की गणना कर गणना पत्रक प्रस्तुत करें ।

❖ सुनवाई दिनांक 07.02.2023 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिवक्ता श्री इनोश जार्ज कार्लो तथा श्री अरूण चौधरी, एडमिनिस्ट्रेटर दुबे सर्जिकल एण्ड डेंटल हास्पिटल तथा अनावेदक की ओर से श्री कौशल किशोर, सहायक यंत्री (जोन—2), श्री सनातन शर्मा, सहायक यंत्री तथा श्री संतोष पात्रो — ऑफिस असिस्टेंट, ग्रेड — 3 उपस्थित ।

आवेदक अधिवक्ता के मौखिक कथन :—

01. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण में यह बताया कि जांच से यह सिद्ध हुआ है कि सोलर पैनल लगने पर लगाए गए नेट मीटर के कनेक्शन उल्टे हो गए थे, जिसके कारण इम्पोर्ट की जाने वाली विद्युत खपत एक्सपोर्ट में दर्ज हो रही थी एवं एक्सपोर्ट में दर्ज होने वाली खपत इम्पोर्ट में दर्ज हो रही थी, जिसके कारण सही खपत न तो दर्ज हो सकी और न ही उसके अनुसार बिल जारी किया गया ।

02. अनावेदक ने जो एकत्रित खपत का बिल जारी किया है वह वर्तमान दर के अनुसार जारी किया है, जबकि प्रचलित दर के अनुसार जारी किया जाना चाहिए ।

03. उनके द्वारा कहा गया कि जो बिल जारी किया गया है वह 2 वर्ष से अधिक अवधि का बिल है, अतः धारा 56 (2) के अन्तर्गत कालबाधित है । अतः 2 वर्ष की अवधि से अधिक का बिल नहीं जारी किया जाना चाहिए ।

अनावेदक के मौखिक कथन :—

01. अनावेदक ने यह कहा कि निकाली गई अन्तर राशि धारा 56 (2) के अन्तर्गत कालबाधित नहीं हैं । साथ ही उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रेम कौटेक्स के प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि जिस दिन गलती पकड़ी गई तभी से समय प्रारंभ होता है, अतः उक्त बिल कालबाधित नहीं है ।

02. सुनवाई के दौरान अनावेदक को निर्देशित किया गया कि अगली सुनवाई दिनांक से लगभग 5 दिन पूर्व माहवार अंतर बिल की राशि की गणना कर स्टेटमेंट आवेदक को भेजने के साथ ही साथ लोकपाल के कार्यालय में भी प्रस्तुत करें ।

उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 21.02.2023 नियत की गई।

❖ सुनवाई दिनांक 21.02.2023 को आवेदक की ओर से आवेदक के प्रतिनिधि श्री अरूण चौधरी, एडमिनिस्ट्रेटर, दुबे सर्जिकल एण्ड डेंटल हास्पिटल तथा अनावेदक की ओर से श्री कौशल किशोर, सहायक यंत्री (जोन–2), श्री संतोष पात्रो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड–3 उपस्थित ।

आवेदक का मौखिक कथन– आवेदक द्वारा कथन किया गया कि उनके अधिवक्ता की माताजी का निधन हो जाने के कारण वह उपस्थित नहीं हुए हैं अतः प्रकरण में आगामी सुनवाई की तिथि निर्धारित की जावे । आवेदक द्वारा निम्नांकित प्रतिउत्तर पत्र प्रस्तुत किये जिन्हें रिकार्ड में लिया गया ।

1. अनावेदक के पत्र कमांक 4854 दिनांक 12.1.2023 के संदर्भ में प्रतिउत्तर पत्र दिनांक 21.2.2023

2. अनावेदक के पत्र क्रमांक 5181 दिनांक 14.2.2023 के संदर्भ में प्रतिउत्तर पत्र दिनांक 21.2.2023

अनावेदक का कथन – अनावेदक द्वारा आगामी सुनवाई हेतु सहमति दी । अनावेदक द्वारा प्रकरण में दिनांक 17.3.2022 को बनाये गये पंचनामा के अंतिम निर्धारण आदेश को टेरिफ वाईस/मंथ वाईस, ऐक्सल शीट में तैयार कर उनके पत्र दिनांक 14.2.2023 प्रस्तुत किया जिसे रिकार्ड में लिया गया । अनावेदक द्वारा पत्र दिनांक 14.2.2023 की प्रति आवेदक को भी प्रदाय की गई ।

अतः प्रकरण में उभय पक्षों की सहमति से आगामी सुनवाई की दिनांक 10.3.2023 नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 10.3.2023 को आवेदक की ओर से आवेदक के प्रतिनिधि श्री अरूण चौधरी, एडमिनिस्ट्रेटर, दुबे सर्जिकल एण्ड डेंटल हास्पिटल तथा अनावेदक की ओर से श्री कौशल किशोर, सहायक यंत्री (जोन–2), उपस्थित ।

आवेदक का मौखिक कथन– आवेदक द्वारा कथन किया गया कि उनके अधिवक्ता, अधिवक्ताओं की हड़ताल होने के कारण उपस्थित नहीं हुए हैं अतः प्रकरण आगामी सुनवाई की तिथि निर्धारित की जावे । अनावेदक के अधिवक्ता भी दिनांक 10.3.2023 को उपस्थित नहीं हुए ।

आवेदक द्वारा प्रतिउत्तर पत्र दिनांक 10.3.2023 प्रस्तुत किया । जिसकी प्रति अनावेदक को भी उनके द्वारा दी गई ।

अतः प्रकरण में उभय पक्षों की सहमति से आगामी सुनवाई की दिनांक 27.3.2023 नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 27.3.2023 को आवेदक की ओर से आवेदक के प्रतिनिधि श्री अरूण चौधरी, एडमिनिस्ट्रेटर, दुबे सर्जिकल एण्ड डेंटल हास्पिटल तथा अनावेदक की ओर से श्री कौशल किशोर, सहायक यंत्री (जोन–2), ईस्ट डिवीजन, जबलपुर उपस्थित ।

अपीलार्थी ने दो अतिरिक्त कथन प्रस्तुत किए पहला धारा 56 (2) के संबंध में एवं दूसरा fix charge की बिलिंग के संबंध में जिन्हें रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.03.2023 को एवं आज उठाये गये संशय तथा अनावेदक द्वारा उन पर स्पष्टीकरण :–

(1) अतिरिक्त बिलिंग में अधिक फिक्स चार्ज जोड़े है

अनावेदक द्वारा स्पष्टीकरण :– की गई अतिरिक्त बिलिंग में fix charge की गणना नहीं की गई है।

(2) बिलों में फिक्स चार्ज 40KW के अनुसार लिया है जबकि Contract Demand 25KW है एवं मीटर में 1KW MD दर्ज हुई है

अनावेदक द्वारा स्पष्टीकरण :– अपीलार्थी ने Contract Demand 25KW करने हेतु अनुबंध दिनांक 20.03.2021 को किया है अतः बिल माह अप्रैल 2021 से सीडी 25KW के अनुसार बिल दिये गये है उसके साक्ष्य के तौर पर अप्रैल–21, सितंबर–21, और अप्रैल–22 के बिलों की प्रति दी जिसमें 25KW के अनुसार fix charge लिये है। अप्रैल 21 के पूर्व टैरिफ में प्रावधान अनुसार 40KW के अनुसार fix charge बिल किये है।

जिस पर अपीलार्थी संतुष्ट हुआ।

(3) मेरे यहाँ मीटर सही था फिर क्यों बिल किया है ।

अनावेदक द्वारा स्पष्टीकरण :– यह कहना सही है कि मीटर सही था किन्तु नेट मीटर लगाते समय कनेक्शन गलती से उल्टे हो गये थे जिसके कारण Import के स्थान पर Export एवं Export के स्थान पर Import दर्ज हो रहा था। इस गलती के कारण रात में

(जब सोलर ऊर्जा शून्य होती है) भी Export दिखा रहा था यह गलती MRI की Analysis करने पर पकड़ में आई।

(4) अपीलार्थी ने कहा कि Electricity Act = 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार 2 वर्ष से अधिक का अंतर था बिल नहीं दिया जा सकता है अपीलार्थी ने अपने कथन के Support में Ombudsman mumbai का ओदश दिनांक 18.07.2006 एवं Electricity Ombudsman Bhopal in case no. L0024312 dt. 24.04.2014 जिनमें 2 वर्ष की अधिक की अवधि की छूटी हुई बिल की राशि लेने पर रोक लगाई है। क्योंकि limitation begins to run from the date of delivery of goods.

अनावेदक द्वारा स्पष्टीकरण – इसके प्रतिउत्तर में अनावेदक ने M/s Prem Cottex versus Uttar Hariyana Bijli Vitaran Nigam Limited & Ors. की Civil Appeal no. 7235 of 2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 05 अक्टूबर 2021 प्रस्तुत किया जिसमें यह स्पष्ट किया है कि though the liability to pay arises on the consumption of electricity the obligation to pay would arise only when the bill is raised by the licensee and that therefore "electricity charges would become "first due" only after the bill is issued, even through the liability would have arisen on consumption". चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला अपीलार्थी द्वारा दिये गये निर्णयों के बाद का है एवं Most Superior Court द्वारा दिया गया है अतः यही मान्य होगा। निकाली गई अंतर की राशि सही है।

(5) अपीलार्थी ने कहा कि चूँकि लंबी अवधि की राशि है अतः बची हुई राशि के भुगतान हेतु किश्तों की सुविधा दी जावें।

अनावेदक द्वारा स्पष्टीकरण :– प्रकरण में निर्णय अनुसार किश्तों की सुविधा दी जावेगी।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

04. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों तथा कथनों के आधार पर प्रकरण के निर्विवादित तथ्य निम्नानुसार हैः–

(1) अपीलार्थी ने अनावेदक से गैर घरेलू श्रेणी का 40 KW भार हेतु थ्री फेस कनेक्शन वर्ष 2010 में प्राप्त किया था।

(2) अपीलार्थी ने अपने परिसर की छत पर 8KW का सोलर पेनल लगाया था जिसे नेट मीटर लगाकर अनावेदक ने दिनांक 04.09.2018 को चालू किया था। मार्च 2021 में अपीलार्थी ने अपनी स्वीकृत भार 40KW रखते हुए संविदा मांग 25KW हेतु अनुबंध किया था।

(3) अनावेदक ने अपीलार्थी को MPERC (Grid Connected Net Metering) Regulation 2015 की कंडिका क्रमांक 8 के अनुसार लंबी अवधि तक Unadjusted export यूनिट की क्रेडिट नहीं दी। अपीलार्थी ने भी इस संबंध में कोई मांग नहीं की।

(4) दिनांक 27.02.2022 को निरीक्षण कर अपीलार्थी को दिनांक 28.02.2022 को सूचित किया गया की मीटर सही रीडिंग दर्ज नहीं कर रहा है अतः नया नेट मीटर उपलब्ध करावें ताकि बदला जा सके।

(5) पुराना मीटर क्रमांक XD473101 एवं साथ लगी सी.टी. दिनांक 17.03.2022 को निकालकर उसके स्थान पर नया मीटर क्रमांक X 1847687 एवं सी टी लगाकर चालू किया गया।

(6) अनावेदक ने निकाले गए मीटर एवं सी.टी. का परीक्षण कंपनी की टेस्टिंग लेब में दिनांक 05.04.2022 को करवाया जिसमें मीटर एवं सी.टी. की कार्यप्रणाली ठीक पाई गई।

(7) अनावेदक द्वारा मीटर की MRI की जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि मीटर के कनेक्शन उल्टे (Phase Sequence Reversal) होने के कारण खपत गड़बड़ दर्ज हो रही थी। एक्सपोर्ट यूनिट के स्थान पर इम्पोर्ट एवं इम्पोर्ट के स्थान पर एक्सपोर्ट यूनिट दर्ज हो रही है।

(8) नया मीटर क्रमांक X 1847687 जिसके कनेक्शन पुराने मीटर के अनुसार ही किये थे को EE (STM) की टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मीटर की सी.टी. की पोलेरिटी विपरीत दिशा में चल रही हो उस स्थिति में Reverse Run तथा जब तीनों फेसों में करेंट बराबर नहीं चल रही हो उस स्थिति को करेंट इमबैलेन्स कहते है।

EE (STM) Report :- The Meter no. XD-473101 was replace on 17/3/2022 with similar connection. The new meter X 1847687 was provided and charged on 21.03.2022 by EE (STM) and found CT connection reverse, same was corrected and MRI taken after 21.03.2022 the Consumption/ Import, Export recorded was found to be as per use and solar generation.

(9) मीटर कनेक्शन सही करने पर खपत सही दर्ज होने लगी थी।

(10) कनेक्शन उल्टे होने के कारण छूटी हुई बिलिंग की अंतर की राशि 04.09.2018 से 17.03.2022 तक की अवधि का बिल जारी किया गया।

(11) अपीलार्थी ने कम बिल आने पर एवं 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021 को सोलर यूनिट का Adjustment नहीं मिलने पर न तो कोई पत्राचार एवं ना ही कोई निवेदन किया। साथ ही अनावेदक ने भी कम खपत पर जांच नहीं की।

(12) अनावेदक ने कहा है कि MRI Data के पेज क्रमांक 37–38 से यह स्पष्ट है कि मीटर रात्रि में एक्सपोर्ट यूनिट दिखा रहा है जबकि रात्रि में सोलर जनरेशन शून्य होता है। अतः

स्पष्ट है कि कनेक्शन उल्टे थे। अतः इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट एवं एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट मानकर बिल किया जाना उचित है।

(13) अपीलार्थी ने अपनी अपील में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों का (1) Gujarat High Court Special Application 5289 of 2012 (2) Bombay High Court Dt. 5 Oct 2006 (3) Electricity Ombudsman Bhopal 24.04.2014 in Case no. L0024312 (4) Hon. Supreme Court Judgment dt. 18.07.2020 in Civil Appeal no. 1672 (SLP civil) no. 5190 of 2019 (Assistant engineer (D-I) Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited versus Rahmatullah khan) हवाला देते हुए मांग की है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार 2 वर्ष से अधिक के बिल के अंतर की राशि नहीं लिया जाना चाहिये।

(14) अनावेदक ने अपनी अंतर बिल की राशि के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 05.10.2021–M/s. Prem Cottex versus Uttar Haryana Bijli Vitaran Nigam Ltd. & Ors. Civil Appeal No. 7235 of 2009 प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट है कि "electricity charges would become "first due" only after the bill is issued, even though the liability would have arisen on consumption." The period of limitation of two years would commence from the date on which the electricity charges become first due under Section 56(2)."

(15) अनावेदक ने फोरम के पत्र क्र. 1320 दिनांक 3/8/2022 से किए प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया है कि 8 kw के सोलर रूफ टाप प्लांट से अधिकतम 35–40 यूनिट का प्रतिदिन उत्पादन हो सकता है जबकि अपीलार्थी की कनेक्शन ठीक करने के उपरांत दर्ज खपत के आधार पर प्रतिदिन की औसत खपत 161.16 यूनिट है । नेट मीटर स्थापित करने के पूर्व की पांच माहों की खपत 31730 यूनिट है जिसका प्रतिदिन का औसत लगभग 211 यूनिट है, अतः यह सिद्ध होता है कि इम्पोर्ट के स्थान पर एक्सपोर्ट एवं एक्सपोर्ट के स्थान पर इंपोर्ट दर्ज हो रहा था ।

(16) अनावेदक ने दिनांक 5.5.2022 को कम बिल की गई राशि का बिल निम्न आधार पर गणना कर जारी किया है :–

Export unit	-	1,34,180 (6709 x 20)
Import unit	-	2020 (101 x 20)
Difference unit	-	134180 – 2020 = 132160
Already billed units	-	26100
Total units to be billed	-	132160 – 26100 = 106060
E/C 106060 x 6.90	=	731814/-
E/D 106060 x 6.9 x 15%	=	1090772/-

Total Rs. 841586/-

(17) अपीलार्थी का यह कहना सही है कि उपभोक्तावार उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की खपत की संगणना करने का दायित्व अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी का है एवं उपभोक्ता ऐसी त्रुटि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदाई नहीं है, किन्तु उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा के भुगतान के लिए अवश्य उत्तरदाई है । प्रकरण विशेष में हुई त्रुटि case of mistake or Bonafide error की श्रेणी में आती है ।

(18) अपीलार्थी ने अपने पक्ष को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है । फोरम की कार्यप्रणाली के संबंध में अनावश्यक बिंदु (जो अपील का अंश नहीं है) बार–बार लिखने के साथ ही कई अनावश्यक दस्तावेज भी बार–बार अपील के साथ लगाकर 267+72 से अधिक पृष्ठों की अपील प्रस्तुत की है जिससे अपील के मूल बिन्दुओं का महत्व कम होता है, इस तथ्य से आवेदक अधिवक्ता भी सहमत थे । अपीलार्थी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए कई अनावश्यक तथ्य अपील में प्रस्तुत किए हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक/अपीलार्थी अपील करते समय भ्रमित है ।

(19) अपीलार्थी का यह कहना ठीक नहीं है कि "Appellant also ought to have been vigilant was not possible and desirable. It is very much required in present situation, how a consumer paying monthly bills amounting Rs. 40000/- to Rs. 50000/- has gone down to Rs. 10000/- by installing only $1/5^{th}$ the capacity solar plant. Not only appellant but every consumer is required to check the billing in proportion to consumption.

(20) It is known fact that in digital meters the CT reverse connection cannot be detected only by physical examination, it can only be detected from analysis of MRI data. The non applicant has done this mistake that before replacing the meter, they should have analysed the MRI data.

(21) यह प्रतीत होता है कि MRI Enabled मीटरों से प्राप्त डाटा की समीक्षा की व्यवस्था कंपनी में नहीं है जिसके कारण यह शिकायत उत्पन्न हुई है ।

05. उभयपक्षों द्वारा किए गए कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते है :–

01. अपीलार्थी ने अनावेदक से 40 Kw भार हेतु गैर घरेलू श्रेणी का कनेक्शन वर्ष 2010 में प्राप्त किया था, बाद में 8 Kw का सोलर रूफटाप लगाने पर दिनांक 04.09.2018 को नेट मीटर लगाया गया । इसके उपरांत स्वीकृत भार 40 Kw रखते हुए 25 Kw संविदा मांग हेतु मार्च 2021 में अनुबंध किया था ।

02. सोलर मीटर लगने के उपरांत खपत की समीक्षा न तो अनावेदक ने की एवं ना ही अपीलार्थी ने । अनावेदक ने Grid Connected Net Metering Regulation 2015 के अनुसार Unadjusted Unit की क्रेडिट मार्च–2019, मार्च 2020 एवं मार्च 2021 में नहीं दी एवं ना ही अपीलार्थी ने इसकी मांग की या आपत्ति उठाई ।

03. अनावेदक ने आडिट में उपयोग के अनुपात में कम खपत दर्ज होने के कारण मीटर पर शंका कर बदलने की कार्यवाही की जिसमें जांच में पुराना मीटर ठीक कार्य करता पाया गया । मीटर द्वारा दर्ज MRI Data की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि मीटर में कनेक्शन उल्टे हैं जिसके कारण मीटर में Import के स्थान पर Export एवं Export के स्थान पर Import दर्ज हो रहा था। तब नए मीटर के कनेक्शन ठीक किए गए । इस गलती के कारण मीटर रात में भी Export दिखा रहा था जबकि रात में सोलर जनरेशन शून्य होता है वास्तव में वह Import था ।

04. जब मीटर के कनेक्शन ठीक किए गए तब सही खपत दर्ज होने लगी, इसी आधार पर अनावेदक ने Import को Export मानकर एवं Export को Import मानकर 04.09.2018 से 17.03.2022 तक कम बिल की गई (Escaped billing) 106060 यूनिट की राशि रू0 8,41,586/– का बिल जारी किया ।

05. अनावेदक ने पूरी अवधि में कम बिल की गई यूनिट का बिल वर्ष 2021–2022 के टैरिफ आदेश में प्रावधानित दर रू0 6.90 के अनुसार किया है जो कि सहीं नहीं है । अनावेदक को वर्षवार लागू टैरिफ के अनुसार छूटी हुई यूनिट का बिल करने हेतु निर्देशित किया था जिस पर पुनरीक्षित बिल राशि रू. 809940/– दिनांक 21.02.2023 की सुनवाई में प्रस्तुत किया । अतः छूटी हुई बिल की राशि रू0 8,41,586/– के स्थान पर रू. 8,09,940/– होगी, जिसमें से राशि रू. 4,20,793/– जमा की जा चुकी है अतः शेष राशि रू. 3,89,147/– है ।

06. अपीलार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय, न्यायालों एवं विद्युत लोकपाल के आदेशों का हवाला देते हुए विद्युत अधिनियत 2003 की धारा 56(2) के अनुसार केवल 2 वर्ष की अंतर की राशि लेने का अनुरोध किया है । अपने बचाव में अनावेदक ने उक्त आदेशों की तिथि के बाद पारित माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि लिमिटेशन अवधि जिस दिन छूटी हुई खपत का बिल जारी किया है (First Due) से प्रांरभ होगी । अतः बिल में Limitation act लागू नहीं होता है ।

07. अपीलार्थी ने बची हुई अंतर की राशि किश्तों में जमा करने का अनुरोध किया है ।

06. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षो के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

(1) अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

(2) अनावेदक द्वारा अपीलार्थी के 40 Kw के गैर घरेलू कनेक्शन पर 8 Kw Solar reoftap लगाने पर नेट मीटर में उल्टे कनेक्शन कर दिए (4/9/2018) जो कि लंबी अवधि उपरांत कम खपत पर ऑडिट में मार्च 2022 में मीटर की MRI की जांच करने पर संज्ञान में आया । जिसके कारण मीटर में Import के स्थान पर Export Unit एवं Export के स्थान पर Import यूनिट दर्ज हो रही थी । उक्त अवधि हेतु छूटी हुई राशि का बिल Escaped billing की श्रेणी में आता है जो कि "Case of mistake or bonafide error" के कारण हुआ है, अतः Ms. Prem Cottex में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार वसूली योग्य है ।

(3) अनावेदक द्वारा जारी किए गए बिल में राशि की गणना वर्ष 2021–2022 की टैरिफ दर रू. 6.90 के अनुसार की है जो कि नियमानुसार वर्षवार टैरिफ अनुसार गणना की जानी चाहिए । अनावेदक द्वारा वर्षवार टैरिफ अनुसार पुनरीक्षित अंतर राशि रू. 8,09,940/– प्रस्तुत की है जिसमें से राशि रू. 4,20,793/– जमा की जा चुकी है । अतः शेष राशि 3,89,147/– अपीलार्थी जमा करें ।

(4) अपीलार्थी को शेष राशि 3,89,147/– छः समान किश्तों में प्रत्येक माह के बिल के साथ जमा करने की सुविधा दी जाती । किश्त समय पर जमा नहीं करने की स्थिति में अनावेदक नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

(5) यह शिकायत MRI Enabled मीटरों के डाटा की लंबी अवधि तक निगरानी एवं विश्लेषण नहीं करने के कारण उत्पन्न हुई है, अतः वितरण कम्पनियों को सलाह दी जाती है कि वे Monthly monitaring एवं Analysis करने हेतु व्यवस्था करें, जिससे राजस्व वृद्धि के साथ ही शिकायतों में भी कमी आवेगी ।

07. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

08. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल